इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2019—श्रावण 23, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13680-226-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर **दिनांक 13 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय** की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक १३ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ अगस्त, २०१९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह ८ मार्च, २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४ में, उपधारा (३) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि सदस्यों की पदावधि के समाप्त होने पर, यदि प्रबंध समिति पुनर्गठित नहीं होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों की पदावधि का विस्तार, ऐसे विस्तार का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसी समाप्ति की तारीख से, और छह माह की कालावधि के लिए, कर सकेगी. निर्वाचन के पश्चात्, यह विस्तारित कालावधि उपधारा (३) और उपधारा (७) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक ५ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 13680-226-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, **मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2019

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 13th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th August, 2019].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 8th day of March, 2019.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), in sub-section (3), in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that on expiry of term of office of members, if the managing committee is not reconstituted, the State Government may, by notification, extend the term of office of the members for further period of six months, from the date of such expiration, recording the reason for such extension. After election this extended period shall be adjusted in the period as specified in sub-section (3) and sub-section (7).".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (No. 5 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.